छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-02

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023</u>

(अग्रहायण 29, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

माननीय राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया ।

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

माननीय राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसरण में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

2. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए गुरुवार दिनांक 21 दिसंबर, 2023 की तिथि निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई ।

3. मंत्रियों का परिचय

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री ने श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री एवं श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री का परिचय कराया ।

4. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 की तिथि निर्धारित की ।

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं अन्य कार्य पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गयी है:-

वित्तीय कार्य	**समय**
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	2.00 घंटे

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि गुरूवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को भोजन अवकाश नहीं होगा।

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पूर्वाह्न 11.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 दिसंबर, 2023 (अग्रहायण-30, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा